ISSN 2395-051X

आदिवासी अधिकारों का संरक्षण : संवैधानिक प्रयास

डॉ. अंशु सोनी
सहा. प्राध्यापक - राजनीति विज्ञान
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर, उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

आदिवासी समाज मुख्यधारा से दूर होने के कारण सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। संविधान में इन आदिवासी समुदायों को जनजातीय मानते हुए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने, देश की बाकी जनसंख्या के समान सभी अवसर प्राप्त हो सके, ताकि वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद आज भी अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में मामूली सुधार हो पाया है। उनकी दशा बाकी जनसंख्या की अपेक्षा खराब है, जो चिंतनीय है। आदिवासी लोग भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। उनमें साक्षरता एवं अपने अधिकारों के प्रति विधिक जागरूकता ही उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकती है।

मुख्य शब्द - आदिवासी, संविधान, विधिक साक्षरता, जनजागरूकता।

आदिवासी लोग वह होते हैं जिनका रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज और संस्कृति बाकी अन्य लोगों से अलग होती है। जल, जमीन, जंगल ही इनके जीवन का आधार होते हैं। समाज की मुख्यधारा से दूर होने के कारण यह प्रायः सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से अन्य लोगों से अत्यधिक पिछड़े हुए होते हैं। भारत में आदिवासी समुदाय अत्यंत विविध एवं विजातीय है। बोली जाने वाली भाषाओं जनसंख्या का आकार रहन-सहन के ढंग को लेकर इनमें बहुत विविधता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 10,42,81034 है ।

स्वतंत्रता तक आदिवासी जनसंख्या राष्ट्रीय परिदृश्य से अपेक्षाकृत एकांत में रही तथा सुदूर व विषम जंगली क्षेत्रों में प्रायः आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करती रही। भारत में अंग्रेज उपनिवेशक प्रशासनिक तंत्र का आदिवासियों से संपर्क मुख्य रूप से अधिकारवादी व शोषक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। उनकी आदिवासियों को पृथक रखने तथा राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से न जोड़ने में विशेष रूचि रही। अंग्रेज शासकों ने आदिवासियों की सामूहिक सामाजिक व्यवस्था तथा संस्कृति को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया जिससे आदिवासियों तथा अंग्रेजों के मध्य कई संघर्ष भी हुए। आदिवासियों का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने कई अमानवीय कानून भी बनाए इसके बावजूद भी सामूहिक चेतना से संपन्न आदिवासियों ने अंग्रेजों के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया और अपनी संस्कृति को बचाए रखा।

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने देश के वंचित, शोषित एवं पिछड़े लोगों के विकास एवं सभ्य समाज से जोड़ने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए जिससे इन शोषित पीड़ित लोगों के जीवन में बदलाव आ सकें एवं देश के विकास में इनकी भूमिका सुनिश्चित हो सके। आदिवासियों को भारतीय संविधान की पाँचवी अनुसूची में ''अनुसूचित जनजातियों'' के रूप में मान्यता दी है। संविधान में अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए जिन्हें स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ वह है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध किया गया है। अनुच्छेद 342 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में वहां के राज्यपाल से परामर्श कर सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर जनजातियों या जनजातीय समूहों के किसी हिस्से या समूह को ऐसे निर्धारित कर सकता है कि उसे इस संविधान के उद्देश्य के लिए उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति माना जाए।

आजादी के बाद जनजातीय समूहों की पहचानकर 212 जनजाति समूह को सूचीबद्ध किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजाति समूहों की संख्या 705 थी। जनजाति समूह में कुछ जनजातियाँ अपनी अत्यधिक दुर्बलता के कारण विशेष रुप से अति संवेदनशील जनजातीय समूह पी. वी. टी. जी. जिनकी संख्या 75 है। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर प्रावधान करता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के वंचित, शोषित आदिवासियों की सुरक्षा को अहम मानते हुए सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जो अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 23, 29, 164, 340, 332, 334, 335, 338, 339(1), 371(क), 371(ख), 371 (ग), पाँचवी अनुसूची एवं छठवीं अनुसूची में समाहित है। जिनमें इनको कुछ विशेष अधिकार देते हुए इन्हें शोषित पीड़ित करने वालों के लिए जुर्माने एवं दंड का विधान किया गया है। दूसरी ओर इनके विकास को लेकर संविधान में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 275 (एक) प्रथम उपबंध तथा 339 (2) में समाहित किए गए, जिससे विकास के मामले में आदिवासी समाज भी मुख्यधारा के साथ-साथ चल सके।

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में सुरक्षा के प्रावधान के विषय में हरीशचंद्र शाक्य लिखते हैं कि ''अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा हेतु इस अनुच्छेद का खंड 4 अपवाद प्रदान करता है। उपर्युक्त अनुच्छेद का प्रावधान अनुच्छेद 46 की नीति के अनुसार है, जिसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह विशेष ध्यान देकर पिछड़े लोगों की शिक्षा एवं आर्थिक विकास के हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अन्याय से इन वर्गो की रक्षा कर सकें। इस प्रावधान से उपर्युक्त अनुच्छेद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाता है। इन वर्गों को अन्य सरकारी सुविधाओं में भी रियायत दी जाती है। अनुच्छेद 16 (4) जो कि सुरक्षा से संबंधित है, इसके विषय में हरीशचंद्र शाक्य लिखते हैं कि ''अनुच्छेद 16 के खंड 1 व 2 में उल्लिखित सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार के प्रति अनुच्छेद 16(4) एक अन्य अपवाद है।

अनुच्छेद 16(4) केवल उन पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान करता है जिनका सरकार के मत से सरकारी सेवाओं में उनकी आबादी के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। अनुच्छेद 16(4) राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से सुरक्षात्मक विभेद का प्रावधान करता है।

आदिवासी समूहों की संपत्ति के हितों से संबंधित अनुच्छेद 19 (5) के विषय में प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी लिखते हैं कि "भारत की संपूर्ण सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से विचरण एवं आवास तथा संपत्ति के अर्जन व निपटान करने के अधिकार की गारंटी प्रत्येक नागरिक को है, परंतु अनुच्छेद 19 (5) के तहत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार विशेष प्रावधान व प्रतिबंध लागू कर सकती है"। इस प्रावधान के अनुसार सरकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आम नागरिकों को स्वतंत्र रूप से घूमने व संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकती है। पूंजीपतियों एवं ठेकेदारों की शोषण एवं उत्पीड़न से आदिवासियों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 23 के विषय में प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी लिखते हैं कि "अनुच्छेद 23 मानव शरीर की सौदेबाजी, बेगार प्रथा, बंधक मजदूर तथा अन्य प्रकार की जबरन श्रम का निषेध करता है। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न है यह प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग बंधक मजदूर की तरह ही कार्य करते हैं। इस अनुच्छेद के माध्यम से जबरन बंधक मजदूरी एवं शारीरिक उत्पीड़न को रोकने का प्रयास किया गया है जो आदिवासियों की मुख्य समस्या रही है।

आदिवासी समुदायों को अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आदिवासी बहुल राज्यों में उनके कल्याण के लिए एक प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान भी अनुच्छेद 164 में किया गया है। मध्यप्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में इस अनुच्छेद से विशेष लाभ पहुंचा है। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में इन वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। आदिवासी समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने की वाले सभी मामलों की जांच करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 का प्रावधान है, जिसके तहत ऐसे मामलों की जांच के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी इन समुदायों की सुरक्षा संबंधित सभी मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाएगा। इन प्रावधानों से सिद्ध होता है कि संविधान निर्माता आदिवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प थे।

अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास संबंधी प्रावधान मुख्यत: अनुच्छेद 275 (1) तथा 339 (2) में निहित है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों को विकास योजनाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था से संबंधित है। इन राज्यों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह अनुदान अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुरक्षा एवं विकास के लिए निर्धारित होता है।

भारतीय संविधान उच्च प्रशासनिक सेवाओं में आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 16 चार के अनुसार सरकार को ऐसे पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का अधिकार

है जिनका सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। यह प्रावधान जनतंत्र की मूल भावना के अनुकूल है इन लोगों को शुल्क आयु एवं यात्रा भत्ता में छूट देकर इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

भारतीय संविधान अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी विशेष प्रावधान करता है। संविधान के खंड एपस-2 के तहत अनुच्छेद 244 तथा 244 (क) में अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के द्वारा जनजाति क्षेत्रों में विकास एवं स्वायत्तता के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं। संसद इन क्षेत्रों के लिए कानून बनाने में मनमानी नहीं कर सकती, जब तक संबंधित राज्य का राज्यपाल इसकी संस्तुति न करें। राज्यपाल को इन राज्यों में कुशल प्रशासन के लिए कुछ विनियमों का अधिकार है। यह अनुच्छेद आदिवासियों की भूमि संरक्षण एवं उन्हें साहूकारों से बचाने से विशेष संबंधित है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वो के द्वारा भी पिछड़े वर्गो के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए है।

स्वतंत्रता के पश्चात सरकारों ने संसद में विभिन्न रक्षात्मक कानून बनाकर आदिवासियों के हितों को सुरक्षित रखने हेतु सजग प्रयास किए। जनजातियों को कई विधिक अधिकार दिए गए जैसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 (FRA), अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (RTE) अधिनियम 2009, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 (PESA), आदि। साथ ही सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण थाने व न्यायालयों की स्थापना की गई। उनकी समृद्ध सांस्कृतिक रीति-रिवाजों, मूल्यों एवं सामूहिक चेतना के संरक्षण के लिए आदिवासी क्षेत्रों में संग्रहालय व कार्यालय बनाए गए हैं जिसमें संचित विरासत को भविष्य में इनकी आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके।

जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए इन सभी प्रयासों के बावजूद भी यह एक सत्य है कि अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में केवल मामूली सुधार आया है। अनुसूचित जनजाति का मानव विकास सूचकांक (HDI) बाकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। साक्षरता दर में अंतर अधिक है। गरीबी रेखा के नीचे अन्य समुदायों की अपेक्षा अनुसूचित जनजाति परिवार अधिक है। आरक्षण के प्रावधान के बावजूद सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। इस प्रकार उनकी दशा बाकी जनसंख्या की अपेक्षा बहुत खराब है तथा वे विकास के परिकल्पित स्तर पर पहुंचने में अक्षम हैं जहां से वे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अवसरों का लाभ उठा सकें।

जनजातियों में साक्षरता की कमी एक मुख्य समस्या है जिसके परिणामस्वरूप जनजातियाँ अपने मौलिक विधि एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत नहीं हो पाती। अपने कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए गई कल्याणकारी योजनाओं का ज्ञान भी नहीं रखती, जिसके चलते वे उनका लाभ नहीं उठा पाते। जनजातियों में सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त है जैसे डायन प्रथा, दहेज प्रथाए जादू टोना। जनजातियों के साथ सम्मान जनक व्यवहार नहीं किया जाता जिसके चलते वे स्वयं को मुख्यधारा से कटा हुआ समझते हैं उदाहरण के लिए

अंडमान द्वीप में जरावाजन जातियों से पर्यटकों द्वारा जानवरों जैसा व्यवहार किया जाना। भूमि अधिग्रहण पुनरूद्धार एवं पुनर्वास में उचित मुआवजे का प्राप्त न होना, बंधु आमजदूरी एवं बेगार प्रथा, का जारी रहना, बेबुनियाद अपराधिक प्रकरण में फंसाया जाना, पुलिस अत्याचार, भूमि से बेदखल करना, शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, विधिक सुविधाओं का अभाव जैसी मुख्य समस्याओं से आदिवासी वर्ग पीड़ित है।

आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि आदिवासियों के मध्य उनके अधिकारों की समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को चलाया जाए जिससे उन्हें अपने विधिक अधिकारों एवं उन्हें प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही सरकार के द्वारा आदिवासियों के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए अच्छे विद्यालयों एवं शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आदिवासियों के मध्य व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनजागरूकता फैलाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा सहज तरीके से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आदिवासियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, लोक अदालतों का आयोजन किया जाए, जिससे लंबे समय से लंबित मुकदमों का निपटारा हो सके और बेगुनाह आदिवासियों को जेल से छुड़ाया जा सके या निकाला जा सके। मानव तस्करी एवं बेगार को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा विशेष प्रयास किए जाएं। जनजातीय समुदायों में विधिक सेवा क्लीनिक अवश्य खोले जाएं, जिससे आदिवासियों को अपनी विधिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करना आसान हो।

आदिवासी समुदाय, भारतीय समाज का महत्वपूर्ण अंग है। उनके प्रति समस्त भारतीय क्षेत्र के निवासियों मन में सद्भावना, अपनापन एवं उनकी संस्कृति एवं रीति-रिवाजों के प्रति आदर सम्मान की भावना होगी तभी आदिवासियों को प्रदान किए गए अधिकार सार्थक होंगे और संविधान द्वारा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। तभी आदिवासी समाज देश की मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा और सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा।

सन्दर्भ -

1. इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइंटिफिक एंड इन्नोवेटिव रिसर्च स्टडी, संस्करण 5, अगस्त 2017.
2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2015.
3. मीणा, अनिल; आदिवासी भारत मानव शास्त्र विनायक प्रतियोगिता टाइम्स इंदौर, पृ. 1, संस्करण 2000,
4. शाक्य, हरीशचंद्र; आदिवासी और उनका इतिहास, प्रथम संस्करण, पृ. 103, 2011
5. प्रोफेसर मधुसूदन; भारत के आदिवासी, संस्करण, पृ. 134, 2003
6. गुप्ता, रमणिका; आदिवासी कौन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, अंसारी मार्ग दरियागंज, नई दिल्ली, संस्करण, पृ. 84, 2016